



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-90/1/सा.प्र.वि./2025/1124

भिलाई, दिनांक 22/8/25

//आदेश//

श्री अखिल कुमार चन्द्राकर पिता श्री फत्तेलाल चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 08.09.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2025 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 22/8/25

पृ.क्र./एफ- 90/1/सा.प्र.वि./2025/1130

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. श्री अखिल कुमार चन्द्राकर पिता श्री फत्तेलाल चन्द्राकर, कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त, जोन क्रमांक 01, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी लिपिक पेंशन/भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्रभारी लिपिक, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।

उपायुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई